बिहार सरकार
उघोग विभाग

पत्रांकः–   पटना, दिनांकः–

प्रेषक

एस.विजयराघवन
औघोगिक विकास आयुक्त

सेवा में,

अध्यक्ष,
बिहार राज्य विघुत बोर्ड,
पटना

विषयः– औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2006 उद्यमियों को दी जाने वाली विद्युत प्रोत्साहन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सचिव,विद्युत पर्षद के पत्रांक 678 दिनांक 7.10.2006 तथा पत्रांक 01 दिनांक 2.1.2007 के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र के कंडिका–1 में नई इकाईयों को AMG/MMG से छुट के संबंध में प्रावधान किया गया है ।

इसी अधिसूचना के कंडिका–2 में वर्त्तमान कार्यरत इकाई को 1.4.2006 से पॉच वर्षो के लिए AMG/MMG की छुट देने का जिक्र किया गया है ।

विद्यमान कार्यरत इकाईयों के विस्तार /विशाखन /आधुनिकरण की स्थिति में इन्क्रीमेन्टल उत्पादन के लिए यह सुविधा देने का जिक्र है ।

उपरोक्त विन्दुओं पर स्पष्ट करना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–06 के कंडिका–2 (xii)में वर्त्तमान में कार्यरत इकाईयों तथा नई इकाईयों को AMG/MMG से छूट 1.4.2006 से पॉच वर्षो के लिए देय होने का प्रावधान किया गया है ।

इस नीति के कंडिका–4 में विधमान इकाई जो अपने क्षमता का विस्तार/विशाखन आधुनिकीकरण करते है को इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर AMG/MMG की छुट विस्तार/विशाखन आधुनिकीकरण की तिथि से पॉच वर्षो के लिए देय होगा ।

उसी प्रकार रूग्न एवं बन्द इकाईयों को AMG/MMG एवं विलंब अधिभार से छुट को इकाई के रूग्न द्योषित होने की तिथि से पॉच वर्षो के लिए यह सुविधा देय होगा

उद्योग विभाग पत्रांक 2609 दिनांक 11.11.2006 जिसका जिक्र सचिव, विद्युत पर्षद के पत्रांक 01 दिनांक 2.1.2007 में किया गया, में मात्र विस्तार/विशाखन के लिए है । पूर्व से कार्यरत इकाईयॉ तथा रूग्न इकाईयों के संबंध में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2006 जो 1.4.2006 से प्रभावी है, के कंडिका–2(xii)एवं कंडिका–3(vi)तथा कंडिका–4 के अनुसार प्रोत्साहन देय होगा ।

उद्योग विभाग के संकल्प संख्या– 2609 दिनांक 11.11.2006 में विस्तार अथवा विशाखन के अतिरिक्त आधुनिकीकरण का भी समावेश प्रोत्साहन नीति–2006 के कंडिका–4 के अनुसार किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि विद्युत पर्षद (वाणिज्य विभाग) के पत्रांक 678 दिनांक 7.10.2006 में तदनुसार प्रावधान करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/–
औद्योगिक विकास आयुक्त

ज्ञापांकः– 198 पटना, दिनांक :– 10–1–07

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक,बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

ए. विजयराघवन 10.01.07
औद्योगिक विकास आयुक्त